

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: संशोधन आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 15/03/2017.


क्रमांक- <sup>598</sup> /999/आउशि/सम्बद्धता/17 :: इस कार्यालय द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबद्ध विद्यमान अशासकीय महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की सत्र 2017-18 के लिये निरन्तरता संबंधी जारी आदेश क्रमांक- 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 16/03/2017 में टंकण त्रुटिवश सरल क्रमांक-(22) एवं (23) पर वीर नारायण जनकल्याण आदिवासी संस्थान छिंदवाड़ा द्वारा संचालित वीर नारायण महाविद्यालय पार्शुना पिपरीया तहसील छिन्दवाड़ा का नाम दो बार अंकित हो गया है, अतः सरल क्रमांक 23 को विलोपित करते हुये निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:-

(23)

सरल क्रमांक	विन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	नचिकेता कॉलेज आफ कम्प्युटर साइंस वाणिज्य एण्ड एडवॉस टेक्नोलॉजी जबलपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	नचिकेता कॉलेज आफ कम्प्युटर साइंस वाणिज्य एण्ड एडवॉस टेक्नोलॉजी जबलपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. पीजीडीसीए . बी0ए0-प्रथम-हिन्दी, इतिहास, राजनीति, अति0वि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का अभिमत	महाविद्यालय की नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर महाविद्यालय में कॉलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/ शिक्षकों की नियुक्ति है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किसी भी तरह का विवादित प्रकरण नहीं है।
6	परीक्षण में पाई गई मुख्य कमियां	कॉलेज कोड 28 प्रक्रियाधीन, संबद्धता नहीं है, बैंक से भुगतान का प्रमाण पत्र नहीं है, अग्रणी महा.द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 60 प्रतिशत से कम प्रवेश है।
7	आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय :-	उपरोक्त परीक्षण टीम एवं विश्वविद्यालय के अभिमत के आधार पर
	आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अप्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		पीजीडीसीए, बी0ए0-प्रथम-हिन्दी, इतिहास, राजनीति, अति0वि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र

आदेश में उल्लेखित शेष निर्देश यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.

//2//


पृ. क्रमांक- 599/999/आजशि/सम्बद्धता/17.

भोपाल, दिनांक- 15/03/2017.

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, जबलपुर संभाग (म0प्र0)।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा, म.प्र.